न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या :–32 / 2017

अनवान

1 इसरार अहमद पिता इसाक खान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 निसार अहमद पिता इसाक खान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 फारूख खान पिता इसाक खान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा ..... **वादीगण**

बनाम

1 रमजान खां पिता जलालुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 बाबु खां पिता जफरअली खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 सदीक खां पिता जलालुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 बरकत खां पिता जलालुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा ———डिलीट
5 मोजम खां पिता जफरअली खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 असलम खां पिता बाबु खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा ———डिलीट
7 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी.....अधिवक्ता वादीगण**
पेरोकार सरकार.....विपक्षी कम 07

वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03, 05, अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत मंजूर किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 03, 05 के इस प्रकार प्रदत्त कि जाती है कि– ग्राम अलीनगर पटवार मण्डल बेंरा में स्थित वादीगण की खातेदारी खतौनी संख्या 23 के आराजी संख्या 693 / 3, 714, 2707 / 649 कुल किता 03 कुल रकबा 09–11 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 05 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 05 से वादीगण को सिपुर्द किया जावें तथा वादीगण के खातेदारी हक एवं हिस्से स्वामित्व भू भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 व 05 किसी भी प्रकार की नाजायज दखंलनदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–32/2017

अनवान

1 इसरार अहमद पिता इसाक खान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 निसार अहमद पिता इसाक खान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 फारूख खान पिता इसाक खान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा ..... वादीगण

बनाम

1 रमजान खां पिता जलालुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 बाबु खां पिता जफरअली खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 सदीक खां पिता जलालुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 बरकत खां पिता जलालुदीन खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा ———डिलीट
5 मोजम खां पिता जफरअली खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 असलम खां पिता बाबु खां पठान उम्र वयस्क निवासी अलीनगर तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा ————डिलीट
7 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी.....अधिवक्ता वादीगण**
पेरोकार सरकार.....विपक्षी कम 07

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.02.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम अलीनगर पटवार हल्का क्षैत्र बेरा भु.अ.निरीक्षक क्षैत्र बेरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 23 के आराजी संख्या 693/3, 714, 2707/649 कुल किता 03 कुल रकबा 09–11 बीघा भूमि जमाबन्दी संवत 2070–72 में

वादीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसकी वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान से विधिक आदेश लेकर दिनांक 12.06.2017 को भू अभिलेख निरीक्षक बेरा से पत्थरगढ़ी कराई गई तथा उक्त्त पत्थरगढ़ी में पाया गया कि प्रतिवादीगण का वादी की आराजीयात भू भाग पर अवैध कब्जा है। जिसका कब्जा सिपुर्द करने से प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया है। दिनांक 09.07.2017 को वादीगण की खातेदारी आराजीयात पर जे.सी.बी. के जरिये प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण कर रास्ते का निमार्ण कर रहे थे, वादीगण द्वारा इसका विरोध किये जाने पर विपक्षीगण मरने, मारने पर उतारू हो गये। अतः वादीगण को उसकी खातेदारी आराजीयात से प्रतिवादीगण बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप तथा कब्जा काश्त में रूकावट उत्पन्न नही करें, प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जावें ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन/नोटिस जारी किए गए। विपक्षी क्रम 04 व 06 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 04, व 06 की तामील लौटकर प्राप्त नही । पुनः भरकर प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर अविवक्ता वादीगण द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी क्रम 04, 06 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। वादीगण का निवेदन स्वीकार कर वादपत्र में विपक्षी क्रम 04, 06 का नाम लाल स्याही से डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। दिनांक 06.02.2018 को वादी संख्या 01 की उपस्थिति में वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादी की शहादत्त में गवाह वादी संख्या 01 का शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर, उस पर लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–01 का अंकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र पत्र से संलग्न वर्तमान राजस्व जमाबन्दी संवत 2070–72 तथा राजस्व नक्शा ट्रेस पर लाल स्याही से क्रमशः प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 का अंकन किया गया। प्रकरण के शीध्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में एकपक्षीय बहस करनी चाहने से बहस वाद–पत्र में सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र की समस्त कलमों दौहराते हुए कथन कर निवेदन किया कि वादीगण को उसकी खातेदारी आराजीयात से प्रतिवादीगण बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप तथा कब्जा काश्त में रूकावट उत्पन्न नही करें, प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जावें । उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा वादीगण के वादपत्र स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति प्रकट करते हुए बहस में समायत तथ्यो से निवेदन किया कि पत्थरगढ़ी के दौरान विरोधाभाषी तथ्य उत्पन्न होने के कारण पक्षकारान के मध्य सद्भाविक विवाद है। अतः निष्पक्ष राजस्व अधिकारी से पत्थरगढ़ी कराई जाने पर वादीगण की भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कोई अनाधिकृत कब्जा होना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वादीगण अपनी खातेदारी आराजीयात पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

3. वादी पक्ष को सुना गया। प्रतिवादी संख्या–7 राज्य पक्ष का तर्क रहा है कि प्रकरण में पूर्व में हुई पत्थरगढ़ी के कारण आये परस्पर विरोधाभाषी तथ्यों के चलते पक्षकारान में विवाद है। मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या–1 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाये जाने स्थिति में उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादीगण पुनः प्राप्त करने के अधिकारी है।

इस प्रकार वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व आधार अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी, वादपत्र के समर्थन व वादीगण की शहादत्त में प्रस्तुत शपथपत्र के अवलोकन व परिक्षण उपरान्त डिक्री किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 व 05 अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार फैसल किया जाता है कि वाके ग्राम अलीनगर पटवार मण्डल बेंरा में स्थित वादीगण की खातेदारी खतौनी संख्या 23 के आराजी संख्या 693/3, 714, 2707/649 कुल किता 03 कुल रकबा 09—11 बीघा भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें तथा नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 05 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावें तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 05 से वादीगण को सिपुर्द किया जावें तथा वादीगण के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 व 05 बेजादखंदाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नपती के सम्बंध में पक्षकारान को न्युनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 05 का कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जावें तो उक्त भू भाग से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 05 को बैदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय दिनांक 06.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
जिला भीलवाड़ा